

#/2024/300

फर्द अहकाम
(नियम 15)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ
सुमित्रा आदि बनाम प्याराराम आदि
वाद अन्तर्गत धारा 88,188 आर.टी.एक्ट प्रकरण संख्या 264 वर्ष 2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुये
13.06.2024	वादीगण द्वारा यह वाद पत्र जरिये वकील पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 16.07.2024 को पेश हो।	
16.7.2024	<p>वकील ए. फ. सेकन उपस्थित/PU माह 240000 पत्रावली पत्रावली 240000 गस्त 240000 दिनांक 28.9.2024 का पेश हो</p>	
23.9.2024	<p>वकील ए. फ. सेकन उपस्थित/PU माह 240000 पत्रावली पत्रावली 240000 गस्त 240000 दिनांक 26.11.2024 का पेश हो</p>	
26.11.2024	<p>वकील ए. फ. सेकन उपस्थित/PU माह 240000 पत्रावली पत्रावली 240000 गस्त 240000 दिनांक 23.01.2025 का पेश हो</p>	
23.1.2025	<p>वकील ए. फ. सेकन उपस्थित/PU माह 240000 पत्रावली पत्रावली 240000 गस्त 240000 दिनांक 23.1.2025 का पेश हो</p>	राजीना के मुआदो आलाना नही पाइए
25.3.2025	<p>वकील ए. फ. सेकन उपस्थित/PU माह 240000 पत्रावली पत्रावली 240000 गस्त 240000 दिनांक 25.3.2025 का पेश हो</p>	प्रति बलकार
16.5.2025	<p>वकील वकील ने पार्चिन-पुस सिमान पेसी - फेरा कले पर पत्रावली को पेसी ने जि पा- गपरा वकील वकील ने जि वेदम डिफा डि वर फा पेसी नामा होने से कारण वाद-पुस आगे नही चलाना चाहते है मों पू का डिपरी में वकील जि आलाना-काइले हो इत वाद- पत्र मों पू का डिपरी में वकील डिफा जाला हो पत्रावली नमूदा के कम मी जाकर वाद वकील- वकील वादवा 21 डिगि एक्टर हो।</p>	प्रति प्यापरा प. मनी

Not present
पलाने नही
पाइए
पुसमान
होआइए